जारी/कु.पुष्पा
10/09/13

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या– एम0 195 /नौ–9–13–167ज/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर, 2013

विषय– नागर निकायों के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाये जा रहे बाजारों पर रोक लगाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि प्रदेश में नागर निकायों के आवासीय क्षेत्रों के मुहल्ले एवं गलियों में अवैध रूप से बाजार का संचालन हो रहा है, जिससे वहाॅ के स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है एवं उन क्षेत्रों में अपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने लगती हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों से ऐसे बाजारों को तत्काल प्रभाव से बन्द कराना सुनिश्चित कराते हुये ऐसे बाजारों की वर्तमान वस्तुस्थिति पर दस दिन में रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाय तथा यह भी सुझाव दें कि यदि कहीं इस प्रकार के बाजार काफी पहले से लगते हों और ऐसे बाजार स्थानीय जरूरत का एक हिस्सा बन चुके हों तो इसका प्रभावी विकल्प क्या हो सकता है ताकि मुहल्लों के सौन्दर्य एवं सुविधा पर भी असर न पड़े और बाजार से पूरी होने वाली स्थानीय लोगों की आवश्यकता भी बाधित न हो और बाजार से जुड़े दुकानदारों का रोजगार भी चलता रहे।

3. जनपद के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि मुहल्ले एवं गलियों में लगने वाले बाजारों को लगाने की अनुमति कदापि न दी जाय तथा इस पर कड़ी नजर रखी जाय। नागर निकायों के सम्बन्धित अधिकारी भी यह सुनिश्चित कर लें कि यदि किसी मुहल्ले या गलियों में बाजार लगने की सूचना शासन को प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

hggo-1

संख्याः तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ) को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२. गार्ड फाइल/बेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

6/9/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

hggo-1